छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा प्रथम सत्र अंक-01

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2023

(अग्रहायण 28, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री रामविचार नेताम) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" एवं राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" का गायन किया गया।

2. षष्ठम् विधान सभा के सदस्यों का स्वागत तथा एक मिनट का मौन

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने षष्ठम् विधान सभा के सदस्यों का स्वागत किया तथा कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व स्थापित परम्परानुसार सदन द्वारा खड़े होकर एक मिनट का मौन धारण किया गया ।

3. छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की सूची का पटल पर रखा जाना

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा माननीय सामयिक अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसरण में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर से प्राप्त भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 308/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2023, दिनांक 04 दिसम्बर, 2023, जिसमें छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधान सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की सूची दी गई है, पटल पर रखी गई ।

4. सभापति तालिका की घोषणा

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

01. श्री विक्रम उसेण्डी
02. श्री धर्मजीत सिंह
03. श्री लखेश्वर बघेल
04. श्री दलेश्वर साहू

5.सदन को सूचना

शपथ ग्रहण की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधान सभा के प्रथम सत्र में माननीय सदस्यों के शपथ ग्रहण की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दूरदर्शन केन्द्र रायपुर एवं निजी चैनलों द्वारा किया जा रहा है ।

6.शपथ/प्रतिज्ञान

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि - समस्त माननीय सदस्य संविधान के अनुच्छेद-188 के अनुसरण में संविधान की तृतीय अनुसूची के निर्धारित प्रारूप में शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे। परंपरानुसार सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री, जो सदन के नेता हैं, वे शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे । तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट सदस्यगण शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे। इनके बाद शेष माननीय सदस्यगण क्रमशः निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के अनुसार नाम पुकारे जाने पर मेरे सामने आकर शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे और सचिव, विधान सभा की मेज पर रखी सदस्य नामावली पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, जो माननीय सदस्य नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थिति के कारण शपथ नहीं ले सकेंगे या प्रतिज्ञान नहीं कर सकेंगे, वे अंत में पुनः नाम पुकारे जाने पर शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे ।

सदस्यों ने निम्नलिखित क्रम में शपथ/प्रतिज्ञान किया तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर कर सभा में अपना स्थान ग्रहण किया । हिन्दी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा में शपथ लेने वाले सदस्य के समक्ष संबंधित भाषा का उल्लेख किया गया है ।

मुख्यमंत्री

1.	श्री विष्णु देव साय	13- कुनकुरी (अजजा)	(छत्तीसगढ़ी)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता

2.	डॉ. चरण दास महंत	35- सक्ती	(छत्तीसगढ़ी)

मंत्रिमंडल के सदस्य -

3.	श्री अरूण साव	26- लोरमी	(छत्तीसगढ़ी)
4.	श्री विजय शर्मा	72- कवर्धा	(छत्तीसगढ़ी)

सभापति तालिका के सदस्य -

5.	श्री विक्रम उसेण्डी	79- अंतागढ़ (अजजा)	(छत्तीसगढ़ी)
6.	श्री धर्मजीत सिंह	28- तखतपुर	(छत्तीसगढ़ी)
7.	श्री लखेश्वर बघेल	85-बस्तर (अजजा)	
8.	श्री दलेश्वर साहू	76- डोंगरगांव	

सदस्यगण –

9.	श्रीमती रेणुका सिंह सरूता	1- भरतपुर-सोनहट (अजजा)
10.	श्री श्याम बिहारी जायसवाल	2- मनेन्द्रगढ
11.	श्री भईया लाल राजवाड़े	3- बैकुण्ठपुर
12.	श्री भूलन सिंह मराबी	4- प्रेमनगर
13.	श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े	5- भटगांव
14.	श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते	6- प्रतापपुर (अजजा)
15.	श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा	8- सामरी (अजजा)
16.	श्री प्रबोध मिंज	9-लुण्ड्रा (अजजा)

17.	श्री राजेश अग्रवाल	10- अम्बिकापुर	
18.	श्री रामकुमार टोप्पो	11-सीतापुर (अजजा)	
19.	श्रीमती रायमुनी भगत	12-जशपुर (अजजा)	
20.	श्रीमती गोमती साय	14- पत्थलगांव (अजजा)	
21.	श्रीमती विद्यावती सिदार	15-लैलूंगा (अजजा)	(संस्कृत)
22.	श्री ओ.पी. चौधरी	16- रायगढ	(छत्तीसगढ़ी)
23.	श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े	17- सारंगढ (अजा)	
24.	श्री उमेश पटेल	18- खरसिया	(छत्तीसगढ़ी)
25.	श्री लालजीत सिंह राठिया	19- धरमजयगढ (अजजा)	
26.	श्री फूलसिंह राठिया	20- रामपुर (अजजा)	(छत्तीसगढ़ी)
27.	श्री लखनलाल देवांगन	21- कोरबा	(छत्तीसगढ़ी)
28.	श्री प्रेमचंद पटेल	22- कटघोरा	(संस्कृत)
29.	श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम	23-पाली-तानाखार(अजजा)	(छत्तीसगढ़ी)
30.	श्री प्रणव कुमार मरपची	24- मरवाही (अजजा)	
31.	श्री अटल श्रीवास्तव	25 –कोटा	
32.	श्री पुन्नूलाल मोहले	27- मुंगेली (अजा)	
33.	श्री धरमलाल कौशिक	29- बिल्हा	(छत्तीसगढ़ी)
34.	श्री अमर अग्रवाल	30- बिलासपुर	
35.	श्री सुशांत शुक्ला	31- बेलतरा	(छत्तीसगढ़ी)
36.	श्री दिलीप लहरिया	32- मस्तूरी (अजा)	
37.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	33- अकलतरा	(छत्तीसगढ़ी)
38.	श्री ब्यास कश्यप	34-जांजगीर-चांपा	(छत्तीसगढ़ी)

39.	श्री रामकुमार यादव	36- चन्द्रपुर	(छत्तीसगढ़ी)
40.	श्री बालेश्वर साहू	37- जैजेपुर	
41.	श्रीमती शेषराज हरवंश	38- पामगढ़ (अजा)	(छत्तीसगढ़ी)
42.	श्रीमती चातुरी नंद	39- सराईपाली (अजा)	(छत्तीसगढ़ी)
43.	श्री सम्पत अग्रवाल	40- बसना	(छत्तीसगढ़ी)
44.	श्री द्वारिकाधीश यादव	41- खल्लारी	
45.	श्री योगेश्वर राजू सिन्हा	42- महासमुन्द	
46.	श्रीमती कविता प्राण लहरे	43- बिलाईगढ (अजा)	(छत्तीसगढ़ी)
47.	श्री संदीप साहू	44- कसडोल	(छत्तीसगढ़ी)
48.	श्री टंक राम वर्मा	45- बलौदाबाजार	(छत्तीसगढ़ी)
49.	श्री इन्द्र साव	46- भाटापारा	
50.	श्री अनुज शर्मा	47- धरसींवा	(छत्तीसगढ़ी)
51.	श्री मोतीलाल साहू	48- रायपुर ग्रामीण	
52.	श्री राजेश मूणत	49- रायपुर नगर पश्चिम	
53.	श्री पुरन्दर मिश्रा	50- रायपुर नगर उत्तर	
54.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	51- रायपुर नगर दक्षिण	(छत्तीसगढ़ी)
55.	गुरू खुशवंत साहेब	52- आरंग (अजा)	(संस्कृत)
56.	श्री इन्द्र कुमार साहू	53- अभनपुर	
57.	श्री रोहित साहू	54- राजिम	
58.	श्री जनक ध्रुव	55- बिन्द्रानवागढ़ (अजजा)	
59.	श्रीमती अंबिका मरकाम	56- सिहावा (अजजा)	
60.	श्री अजय चन्द्राकर	57- कुरूद	

61.	श्री ओंकार साहू	58- धमतरी	
62.	श्रीमती संगीता सिन्हा	59- संजारी बालोद	
63.	श्रीमती अनिला भेंडिया	60- डौंडीलोहारा (अजजा)	(छत्तीसगढ़ी)
64.	श्री कुंवर सिंह निषाद	61- गुण्डरदेही	(छत्तीसगढ़ी)
65.	श्री भूपेश बघेल	62- पाटन	(छत्तीसगढ़ी)
66.	श्री ललित चन्द्राकर	63- दुर्ग ग्रामीण	(छत्तीसगढ़ी)
67.	श्री गजेन्द्र यादव	64- दुर्ग शहर	(छत्तीसगढ़ी)
68.	श्री देवेन्द्र यादव	65- भिलाई नगर	
69.	श्री रिकेश सेन	66- वैशाली नगर	
70.	श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा	67- अहिवारा (अजा)	
71.	श्री ईश्वर साहू	68- साजा	
72.	श्री दीपेश साहू	69- बेमेतरा	(छत्तीसगढ़ी)
73.	श्री दयालदास बघेल	70- नवागढ़ (अजा)	
74.	श्रीमती भावना बोहरा	71- पंडरिया	
75.	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा	73- खैरागढ़	
76.	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	74- डोंगरगढ़ (अजा)	
77.	डॉ. रमन सिंह	75- राजनांदगांव	
78.	श्री भोलाराम साहू	77- खुज्जी	
79.	श्री इन्द्रशाह मण्डावी	78- मोहला-मानपुर(अजजा)	
80.	श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी	80- भानुप्रतापपुर (अजजा)	
81.	श्री आशा राम नेताम	81- कांकेर (अजजा)	(छत्तीसगढ़ी)
82.	श्री नीलकंठ टेकाम	82- केशकाल (अजजा)	

83.	सुश्री लता उसेण्डी	83- कोण्डागांव (अजजा)	(संस्कृत)
84.	श्री केदार कश्यप	84- नारायणपुर (अजजा)	(संस्कृत)
85.	श्री किरण देव	86- जगदलपुर	
86.	श्री विनायक गोयल	87- चित्रकोट (अजजा)	
87.	श्री चैतराम अटामी	88- दन्तेवाड़ा (अजजा)	(संस्कृत)
88.	श्री विक्रम मण्डावी	89- बीजापुर (अजजा)	
89.	श्री कवासी लखमा	90- कोन्टा (अजजा)	

07. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय सामयिक अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल उपस्थित हैं । सदन उनका स्वागत करता है ।

08. अध्यक्ष का निर्वाचन

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 7 के उप नियम (1) एवं (2) के अंतर्गत विधान सभा का अध्यक्ष चुने जाने के लिये माननीय सदस्य डॉ. रमन सिंह हेतु पृथक-पृथक प्रस्तावकों की ओर से पांच प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 7 के उप नियम (4) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे, जिस क्रम में वे प्रस्तुत किये गये हैं ।

1. श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि– "डॉ.रमन सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय ।"

   श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया ।

2. डॉ. चरण दास महंत, सदस्य द्वारा प्रस्ताव किया गया कि –"डॉ. रमन सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय ।"
   श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया ।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा प्रस्ताव किया गया कि – "डॉ.रमन सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय ।"
श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया ।

4. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य द्वारा प्रस्ताव किया गया कि – "डॉ.रमन सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय ।"
श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया ।

5. श्री केदार कश्यप, सदस्य द्वारा प्रस्ताव किया गया कि – "डॉ.रमन सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय ।"
श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. रमन सिंह को इस विधान सभा का विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया तथा उनके विधान सभा के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर बधाई दी गई ।

(मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं डॉ. चरण दास महंत नवनिर्वाचित अध्यक्ष को ससम्मान आसंदी तक ले गए ।)

अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।

09. नवनिर्वाचित अध्यक्ष के प्रति उद्गार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, डॉ. चरण दास महंत, सदस्य, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, भूपेश बघेल, धर्मजीत सिंह, कवासी लखमा, उमेश पटेल, राजेश मूणत

10. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय उपस्थित हैं । सदन उनका स्वागत करता है ।

11.नवनिर्वाचित अध्यक्ष के प्रति उद्गार (क्रमशः)

सर्वश्री अनुज शर्मा, प्रबोध मिंज, सुशांत शुक्ला, रामकुमार यादव सदस्य ने उद्गार व्यक्त किये ।

12.षष्ठम् विधान सभा के प्रथम सत्र में विधान सभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के उपरांत प्रथम अध्यक्षीय उद्बोधन

षष्ठम् विधान सभा के प्रथम सत्र के प्रथम दिवस पर मैं आप सभी नव निर्वाचित सदस्यों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस षष्ठम् विधान सभा में पहली बार निर्वाचित सदस्य 50 की संख्या में है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। वह 50 सभी सदस्यों को जो पहली बार निर्वाचित हुए, मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई दूंगा। दूसरी बार निर्वाचित 15 सदस्य हैं और तीसरी बार निर्वाचित 10 सदस्य हैं। ऐसे 75 सदस्य ही हैं, जो पहली, दूसरी और तीसरी बार जीतकर आए हैं। हमारी 19 महिला सदस्य बहनें जीतकर आई हैं। उनको विशेष बधाई देना चाहता हूं, इस सदन में 20 प्रतिशत की उपस्थिति है और साथ ही साथ आप सबने जो अपनी भावना प्रकट की, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से समय के अनुसार भूमिका बदलती है और आप जो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, 15 साल तक सत्ता दल के नेता के रूप में मैंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया, पर आज मुझे इस पूरे सदन ने एक नई जवाबदारी दी है तो मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अध्यक्ष की हैसियत से इसका शत प्रतिशत क्रियान्वयन करने का प्रयास करूंगा। पूज्य बाबा गुरू घासीदास जी की जयंती के अवसर पर मैं उनके चरणों को नमन कर, आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। इस आसंदी पर बैठकर मुझे पूज्य गुरू बाबा घासीदास जी के वचन याद आ रहे हैं - "मनखे-मनखे एक समान"। समाज में हर मनुष्य जो किसी भी जाति, धर्म और पंथ से संबंध रखता हो, वह मानवता की दृष्टि से एक समान है। बाबा घासीदास जी ने अपने विचारों के माध्यम से हमें एक समान समाज का जो दृष्टिकोण दिया, हम सभी का कर्तव्य है कि उसे इस प्रदेश में साकार करने में अपना योगदान दें।

मैं छत्तीसगढ़ महतारी के श्री चरणों को सादर नमन करता हूं। मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम का ननिहाल, अतीत का कौशल प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़ अनादि काल से हमारी संस्कृति का गौरवशाली प्रदेश बना हुआ है। आज षष्ठम विधान सभा के आरंभ के इस अवसर पर मैं आदिवासी अस्मिता के जयघोष शहीद वीर नारायण सिंह जी को सादर नमन करता हूं, मैं

भक्त माता करमा को नमन करता हूं, मैं माता परमेश्वरी को नमन करता हूं, मैं माता शाकाम्भरी को नमन करता हूं। इस अवसर पर मैं इस राज्य के निर्माता भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं उन पुरखों को प्रणाम करता हूं, जिनके अथक व अनवरत परिश्रम से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण संभव हो पाया।

आप सभी माननीय सदस्यों को विधान सभा का सदस्य निर्वाचित होने पर और इस सभा का सदस्य बनने पर मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को, प्रतिपक्ष के नवमनोनीत नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉ. चरणदास महंत जी को बधाई देता हूं। साहेब बंदिगी साहेब।

मैं हमारे दोनों नये उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरूण साव जी एवं माननीय श्री विजय शर्मा जी को शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर मैं आप सभी सदस्यों के सुखद व सफल संसदीय जीवन की कामना करता हूं।

मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी ने मुझे यह जो महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंपी है, उसका प्रत्येक परिस्थिति में ध्यान रखूंगा। यह सत्य है कि मेरी मातृ संस्था भारतीय जनता पार्टी है और मैं उसका एक साधारण सदस्य हूं, परंतु आज कर्तव्य पथ पर न्याय के इस आसन पर मुझे आसीन किया गया है। इस आसन पर बैठकर सदैव मेरी यह कोशिश होगी कि मैं दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने के लिए पक्ष-प्रतिपक्ष के प्रति समान भाव रखूं। इस सदन में मेरी भूमिका जरूर बदली है, परंतु भाव केवल एक ही है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा का सफल संचालन और हमारे सदन की प्रक्रिया देश के लिए एक आदर्श बने। हम सभी को इस दिशा में मिलकर कार्य करना है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा लोक कल्याण के लिए सभी को साथ लेकर आगे बढ़े, जिससे कि सबका साथ-सबका विकास का हमारा ध्येय धरातल पर साकार हो सके।

आप सभी माननीय सदस्यों ने आज सर्वसम्मति से विधान सभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जवाबदारी को सौंपते हुए मुझे इस आसंदी पर आसीन किया है, आपके स्नेह और विश्वास के लिए मैं आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दो दशकों से लगातार मैं इस सदन का सदस्य रहा हूं, इस कारण मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा की गौरवशाली परंपरा का प्रत्यक्ष साक्षी हूं। प्रथम विधान सभा से लेकर पंचम विधान सभा तक विधान सभा के सभी माननीय

अध्यक्षगण ने अपने-अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में छत्तीसगढ़ विधान सभा के सम्मान को अपने प्रयासों से नई ऊंचाइयां दी हैं। आज इस पद पर आसीन होने पर मुझे छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला जी याद आ रहे हैं, जिस गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ वह इस सदन का संचालन करते थे, वह स्मृति आज भी मेरे मन में वैसी ही बनी हुई है। इसके साथ ही पूर्व में सदन के अध्यक्ष रहे श्री प्रेम प्रकाश पाण्डे जी, श्री धरमलाल कौशिक जी, श्री गौरीशंकर अग्रवाल जी और पूर्व अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत जी ने इस सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए जिस जिम्मेदारी के साथ विधान सभा का संचालन किया है, मैं आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन में इस परंपरा को अनवरत बनाये रखने का प्रयास करूंगा।

मैं अपने संसदीय अनुभव से आप सभी सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि आसंदी की निष्पक्षता किसी न्यायाधीश की तटस्थता जैसी नहीं होती । उसे तो सदन में अभिभावक के तौर पर काम करना पड़ता है । इसलिए संयुक्त परिवार की मुखिया की तरह आचरण करना पड़ता है। घर में सभी स्वभाव के लोग होते हैं । वे बातचीत करते हैं, हंसी-मजाक करते हैं, गर्मा-गर्मी बहस हो जाती है, लेकिन परिवार के मुखिया को सबको साथ लेकर चलना होता है । सदन में सबको इस प्रकार का अवसर मिले, जिसे वे अपना सर्वश्रेष्ठ इस प्रदेश के लिए सामने आ सके ।

छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा में वरिष्ठ और नवोदित सदस्य चुनकर आये हैं, राज्य की जनता जनार्दन ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है, आप पर अपना विश्वास जताया है । आप सभी का यह परम कर्त्तव्य है कि उस विश्वास को संरक्षित रखते हुए छत्तीसगढ़ के विकास और लोक कल्याण के लिए आप मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध रहें । इस सदन में वरिष्ठ और नए सदस्यों का सुन्दर समन्वय है अर्थात् यह सदन अनुभव और ऊर्जा से परिपूर्ण है। पक्ष और प्रतिपक्ष के दोनों ही तरफ के वरिष्ठ सदस्यों से मेरा विनम्र आग्रह है कि वे प्रथम बार चुनकर आये हुए माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन करें और संसदीय परम्पराओं एवं प्रक्रियाओं के विषय में उन्हें प्राथमिक जानकारी उपलब्ध कराएं । प्रथम सत्र के उपरान्त सभी सदस्यों के लिए संसदीय मार्गदर्शन हेतु प्रबोधन कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसकी आपको यथा समय सूचना दी जाएगी ।

आज पूरा राष्ट्र महिला सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है, मुझे यह अवगत कराते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा के लिए कुल 19 महिला सदस्य निर्वाचित होकर सदन की सदस्य बनी हैं । जो इस सदन के सदस्य संख्या का लगभग 20 प्रतिशत हैं, मैं सभी माननीय महिला सदस्यों को उनके निर्वाचन पर विशेष रूप से बधाई

देता हूं । मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि नारी शक्ति के प्रति हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मान और विश्वास का भाव लगातार बढ़ रहा है ।

इस अवसर पर षष्ठम विधान सभा में प्रथम बार चुनकर आये माननीय सदस्यों से मेरा यह विशेष आग्रह है कि आप अपने संसदीय ज्ञान से संबंधित किसी भी जिज्ञासा के लिए विधान सभा सचिवालय से सीधे तौर पर संपर्क करें । यह सचिवालय आपके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए है । विधान सभा सचिवालय आपको हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपकी सेवा में है, आप विधान सभा सचिवालय का पूर्ण सहयोग लें और इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि राजनैतिक कार्य, व्यवहार संसदीय कार्य व्यवहार से बिल्कुल भिन्न होता है। इस सभा में किसी भी विषय पर आपको अपनी बात रखनी है तो आपको नियम और प्रक्रियाओं के तहत ही अवसर प्राप्त होंगे । आपके कार्य, व्यवहार और विचार से ही इस सदन की मर्यादा बंधी हुई है । इसे आप सभी आवश्यक रूप से स्मरण रखें ।

संसदीय लोकतंत्र में चुनाव के समय हम राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी होते हैं और निर्वाचित होने के बाद हम अपने क्षेत्र के समस्त नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं । छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से ही विधान सभा ने पूरे देश में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है । कार्य संचालन के नियम में नियम 250 एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें छत्तीसगढ़ की संसदीय परम्परा का मूल चरित्र प्रदर्शित होता है । इस नियम के अनुसार कोई भी माननीय सदस्य अगर गर्भगृह में आकर कार्यवाही को बाधित करता है तो वह स्वयमेव निलंबित हो जाता है । इस नियम को बने 24 वर्ष होने को आये हैं, सदन ने इस नियम के जरिए विधान सभा की गरिमा को अक्षुण्ण रखा है । यह सदन प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं पर चर्चा करने और उसका समाधान निकालने का एक पवित्र स्थान है । इस कार्य को सत्ता और विपक्ष के सदस्य बखूबी करेंगे, इसकी अपेक्षा जनता को होती है ।

लोकतंत्र को जागृत और जीवंत बनाए रखने में मीडिया/पत्रकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है । मतदाता अपना निर्णय सरकार और प्रतिपक्ष की परफॉर्मेंस के साथ-साथ, मीडिया के माहौल और मार्गदर्शन से प्रभावित होकर लेता है । सदन और जन सामान्य के बीच सेतु के रूप में हम उसकी भूमिका को महत्व देते आये हैं और आगे भी देंगे ।

मेरा यह विश्वास है कि षष्ठम विधान सभा के आगामी सत्रों में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री और आप सभी सदस्यों का सदन के संचालन में मुझे सहयोग प्राप्त होगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को आगामी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं ।

धन्यवाद ।

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सभा का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

13.मुख्य विपक्षी दल तथा नेता प्रतिपक्ष की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि- "षष्ठम् विधान सभा में प्रतिपक्ष दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है तथा गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या में है । इसलिए मैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल को सदन का मुख्य विपक्षी दल और उसके नेता डॉ.चरणदास महंत, सदस्य को प्रतिपक्ष का नेता घोषित करता हूं ।"

14. कार्यमंत्रणा समिति का गठन

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 203 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं कार्यमंत्रणा समिति के लिए वर्ष 2023-2024 हेतु सेवा करने के लिए नियुक्त करता हूं :-

01. श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
02. श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री
03. श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री
04. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
05. डॉ. चरण दास महंत, सदस्य
06. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
07. श्री कवासी लखमा, सदस्य
08. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे ।

अपराह्न 1.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 20 दिसंबर, 2023 (अग्रहायण-29, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा